



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 319) पटना, सोमवार 31 मई 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

22 मई 2021

सं0 05/स्था0-01-57/2018-2796—श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के अवकाश अवधि दिनांक-15.04.2021 से दिनांक-14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

सं0 05/स्था0-01-57/2018-2797—श्री अजय कुमार ठाकुर, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के अवकाश अवधि दिनांक-15.04.2021 से दिनांक-14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिजित कुमार गोविन्दा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 319-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>